# यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 150 /2016 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः— राज्य सरकार बनाम लिछमणाराम

## निर्णय

दिनांकः— 15 / 6 / 18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लखासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आ एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल लिछमणाराम पुत्र/पत्नि श्री ~~लिछमणराम/ऊदाराम~~ उदाराम जाति जाट निवासी लखासर द्वारा ग्राम गजपुरा के अराजी खसरा नम्बर 123 तादादी 52.70 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. पायतन भूमि में से 1500 हैक्टेयर/वर्गमीट भूमि पर सम्वत् 2072 में नाजायज बाड़ा व पक्की दुकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायलें द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस जारिये पत्र प्राप्त हुआ जिसमें गैर सायल ने अवगत करवाया है कि पटवारी हल्का ने बिना पैमाइश के मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश की है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर बाड़ा बनाकर व पक्की दुकान निर्माण अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल लिछमणराम का उक्त खसरा नम्बर 123 तादादी 52.70 हैक्टेयर गै.मु. पायतन भूमि में से 1500 वर्गमीटर हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल लिछमणराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल लिछमणाराम पुत्र/पत्नि श्री उदाराम जाति जाट निवासी लखासर को ग्राम गजपुरा के खसरा नम्बर 123 तादादी 52.70 हे. हैक्टेयर गै मु पायतन भूमि में से 1500 वर्गमीटर हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ........ का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.20 रूपये का 50 गुणा से 10=00 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू—अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.6.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो।